



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1650]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939

No. 1650]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

का.आ. 1861(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखवारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात:-

उक्त आदेश में, अनुसूची में, स्वदेशी अखवारी कागज विनिर्माताओं की मिल के नाम एवं स्थान से संबंधित मद 4 में, क्रम संख्या 46 के सामने दी गई प्रविष्टि में "मै. वी.जी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड" अक्षर एवं शब्द के लिए "मै. वैकटलक्ष्मी पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड" अक्षर एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 4(1)2017-कागज]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य आदेश दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 को संख्या का.आ. 1105(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा हाल ही में 30 मई, 2017 को आदेश सं. का.आ. 1718(अ) के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2017

S.O. 1861(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Newsprint Control Order, 2004 namely:-

In the said Order, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, in the entry against serial number 46, for the letters and words "M/s. V. G. Paper & Boards Limited", the letters and words "M/s. Venkatalakshmi Paper and Boards Private Limited," shall be substituted.

[F. No. 4(1)/2017 – Paper]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended *vide* Order number S.O. 1718 (E), dated the 30th May, 2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.10 15:59:22 +05'30'


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1522]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939

No. 1522]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/JYAISTHA 9, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1718(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अख्तबारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः :-

उक्त आदेश की अनुसूची में स्वदेशी अख्तबारी कागज विनिर्माताओं की मिल के नाम तथा स्थान से संबंधित मद 4 में क्रम सं. 95 पर प्रविष्टि में " मै. नव भारत इन्फ्लेक्स लिमिटेड" अक्षरों और शब्दों के स्थान पर " मै. आरएसी पेपर्स लिमिटेड" अक्षर तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 4(14)/2008-कागज]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान आदेश भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. एस.ओ. 1105(अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था और बाद में आदेश सं. एस.ओ. 2895(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Paper Section)

O R D E R

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O.1718(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Newsprint Control Order, 2004 namely:-

In the said Order, in the Schedule, in item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, in the entry against serial number 95, for the letters and words "M/s. Nav Bharat Duplex Limited", the letters and words "M/s. RAC Papers Limited," shall be substituted.

[F. No. 4(14)/2008 – Paper]
VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1105(E), dated the 11th October, 2004 and lastly amended *vide* Order^s number S.O. 2895 (E), dated the 5th September, 2016.

NEW DELHI
 1939
 D. L. 33004/99
 D. L. 33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1252]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1415(अ).—विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा लुगदी, बागज और संबद्ध उद्योग विकास परिषद की स्थापना करती है तथा सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मधुकर मिश्रा, एम.डी., स्टार पेपर मिल्स लि., द्वितीय तल, एक्सप्रेस विन्टिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-100002	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (बागज प्रभाग के प्रभारी) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली, 110001	सदस्य
3.	अध्यक्ष, इंडियन पेपर मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) चतुर्थ तल, पीएचडी हाऊस, 4/2 सीरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110016	सदस्य
4.	अध्यक्ष, इंडियन एग्रे एंड रिमाइन्डिंग पेपर मिल्स एसोसिएशन (आईएआरपीएमए), 404, विक्रान्त टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008	सदस्य
5.	अध्यक्ष, इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (आईएनएमए), 57, पंचनुर्यां रोड, नई दिल्ली 110001	सदस्य

6.	अध्यक्ष, इंडियन रिसाइकिल्ड पेपर मिल एमोसिएशन (आईआरपीएमए), सी/ओ खातेमा फाइवम, 404-405 विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, 110092	सदस्य
7.	श्रीरामप्रवीन स्वामीनाथन सीएमडी, इंटरनेशनल पेपर एपीपीएम लि., कृष सेफायर बिल्डिंग, 8वां तल, 1-89/3/बी/40 से 42/केएस/801 हाइटेक सिटी मेन रोड, माधापुर, हैदराबाद-500081 तेलंगाना	सदस्य
8.	श्री जे.पी. नारायण, सीईओ, सेंचुरी पल्प एंड पेपर घनश्यामधाम पीओ-वालकुआं, नैनीताल, उत्तराखण्ड 262402	सदस्य
9.	सीएमडी, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि. 75-सी, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, 700016	सदस्य
10.	श्री ए. बेल्लेमरी, उप प्रबंध निदेशक, टीएनपीएल, 67, मार्गट रोड, गिंडी, चेन्नई-600032 तमिलनाडु	सदस्य
11.	श्री अनिल कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक, श्रेयांश इंडस्ट्रीज लि., (इकाई: श्रेयांश पेपर) वर्क्स, अहमदगढ़-148021 संगरूर पंजाब	सदस्य
12.	श्री वेद कृष्ण प्रबंध निदेशक, यश पेपर्स लि. यश नगर, फैजाबाद 224135, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	श्री तुषार शाह, प्रबंध निदेशक, दमन गंगा पेपर लि. 256, सेलवस रोड, पीओ वाक्स एम नं. 65, जीआईडीसी, वापी 39695, गुजरात	सदस्य
14.	श्री मनीष पटेल, प्रबंध निदेशक, रि साऊथ इंडिया पेपर मिल्स लि., 1205/1206 प्रेस्टीज मेरेडियन द्वितीय, एम जी रोड बंगलौर-560001	सदस्य
15.	श्री राहुल खन्ना, खन्ना पेपर मिल्स लि., बी-26, इन्फोसिटी—1 सेक्टर 34, गडगांव 122002 हरियाणा	सदस्य
16.	निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ई-2 एमआईडीसी एरिया, पो. वाक्स 9432 अंधेरी (ईस्ट) मुंबई 400093 महाराष्ट्र	सदस्य
17.	अध्यक्ष, सुगदी तथा कागज प्रौद्योगिकी विभाग आईआईटी रुड़की, (सहारनपुर कैम्पस), पेपर मिल रोड, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश	सदस्य
18.	श्री समजी करिया, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, कामर्स हाऊस, नगिनदास मास्टर रोड, काला घोडा, फोर्ट, मुंबई 400023 महाराष्ट्र	सदस्य
19.	श्री कमल चोपड़ा, अध्यक्ष, आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटेर्स, 605, छठवां तल, मधुवन, 5 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019	सदस्य
20.	निदेशक/निदेशक-प्रभारी केंद्रीय सुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

2. विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियमावली, 1952 के नियम 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निदेशक/निदेशक-प्रभारी, केंद्रीय सुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को उक्त विकास परिषद के सदस्य-सचिव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 8(3)/2016-कागज]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1415(E).—In exercise of powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries and appoints the following persons to be the members of the said Council, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

S. No.	Name	Designation
1	Shri Madhukar Mishra, MD, Star Paper Mills Ltd., 2 nd Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.	Chairman
2	Joint Secretary, (In charge, Paper Division), DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi 110 001.	Member
3	President, Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), 4 th Floor, PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, New Delhi 110 016.	Member
4	President, Indian Agro and Recycled Paper Mills Association (IARPMA), 404, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008.	Member
5	President, Indian Newsprint Manufacturers Association (INMA), 57, Panchkuian Road, New Delhi- 110001.	Member
6	President, Indian Recycled Paper Mill Association (IRPMA), C/o Khatema Fibres, 404-405 Vikas Deep Building, District Centre, Laxmi Nagar, New Delhi 110092.	Member
7	Shri Rampraveen Swaminathan, CMD, International Paper APPM Ltd., Krishi Sapphire Building, 8 th Floor, 1-89/3/B/40 to 42/KS/801 Hitech City Main Road, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana.	Member
8	Shri J.P. Narayan, CEO, Century Pulp and Paper, Ghanshyamdham, PO- Lalkuan, Nainital, Uttarakhand 262 402.	Member
9	CMD, Hindustan Paper Corporation Ltd., 75-C, Park Street, Kolkata, 700 016.	Member
10	Shri A. Velliangiri, Deputy Managing Director, TNPL, 67, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu.	Member
11	Shri Anil Kumar, CEO & Executive Director, Shreyans Industries Ltd., (Unit : Shreyans Paper) Works, Ahmedgarh - 148 021 Sangrur, Punjab.	Member
12	Shri Ved Krishna, MD, Yash Papers Ltd., Yash Nagar, Faizabad 224135, Uttar Pradesh	Member
13	Shri Tushar Shah, MD, Daman Ganga Papers Ltd., 256, Selvas Road., P.O. Box MNo. 65, GIDC, Vapi 396 95, Gujarat.	Member
14	Shri Manish Patel, MD, The South India Paper Mills Ltd., 1205/1206 Prestige Meridian 2 nd , M.G. Road, Bangalore - 560 001.	Member
15	Shri Rahul Khanna, Khanna Paper Mills Ltd., B-26, Infocity-1, Sector 34, Gurgaon 122 002, Haryana.	Member
16	Director, Indian Institute of Packaging, E-2, MIDC Area, Post Box 9432, Andheri (East) Mumbai-400 093 Maharashtra.	Member
17	Head, Department of Pulp & Paper Technology, IIT Roorkee, (Saharanpur Campus), Paper Mill Road, Saharanpur- 247001, Uttar Pradesh.	Member
18	Shri Samji Karia, President, Federation of Paper Traders Association of India, Commerce House, Nagindas Master Rd., Kala Ghoda, Fort, Mumbai- 400 023 Maharashtra.	Member

19	Shri Kamal Chopra, President, All India Federation of Master Printers, 605, 6 th Floor, Madhuban, 5 Nehru Place, New Delhi-110 019.	Member
20	Director/Director – In-Charge Central Pulp and Paper Research Institute Saharanpur-247 001, Uttar Pradesh.	Member - Secretary

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Director/Director –In – Charge, Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur(Uttar Pradesh) to carry on the functions of the Member Secretary to the said Development Council.

[F.No.8(3)/2016-Paper]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.05.28 16:42:17 +05'30'